(76)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1932–एक/2005 विरूद्ध आदेश दिनांक 12–8–2005 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन, प्रकरण कमांक 396/2003–04/अपील

.....

श्रीमती शांतिबाई पिता रतनलालजी
पति ओमप्रकाश जी बागरी
निवासी झावल तहसील व जिला मंदसौर

..... आवेदिका

विरूद्ध

1–रूकमणबाई उर्फ रूक्कीबाई पति बाबूलाल बागरी
निवासी आघारी उर्फ निरधारी तहसील व जिला मंदसौर
2–यशोदाबाई पति ओमप्रकाश बागरी
निवासी ताराखेड़ी तहसील जावरा जिला रतलाम

.....अनावेदकगण

श्री कैलाश जोशी, अभिभाषक– आवेदिका
श्री ए0आर0यादव, अभिभाषक– अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 12/7/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदिका द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–8–2005 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदिका द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 109, 110 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम खजूरिया आजना स्थित भूमि खाता कांक 121 कुल सर्वे नम्बर 5 होकर कुल रकबा 1.36 हेक्टेयर उसे पिता रतनलाल के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है और उनके द्वारा उसके पक्ष में वसीयतनाम निष्पादित किया गया है, अतः वसीयतनामा के आधारा पर उसका नामान्तरण किया जाये । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 30–9–2002 को वसीयतनामा के आधार

पर आवेदिका का नामान्तरण स्वीकृत किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 27–3–03 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करते हुये प्रश्नाधीन भूमि पर समभाग में उभयपक्ष का नामान्तरण स्वीकृत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई और अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 21–8–05 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई है । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा विधिवत् साक्षियों से वसीयतनामा को सिद्ध किया जाकर प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदिका का नामान्तरण स्वीकृत किया गया था, परन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा वसीयतनामा को संदिग्ध मानकर आवेदिका का नामान्तरण निरस्त करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि वसीयतनामें का पंजीकृत होना अनिवार्य नहीं है और वसीयत नोटरी द्वारा पंजीकृत की गई है जिसे अनावेदकगण द्वारा चुनौती भी नहीं दी गई है । इस स्थिति पर बिना विचार किये अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदिका कमांक 1 द्वारा वसीयतनामें पर शपथपत्र प्रस्तुत कर सहमति दी गई है, अतः ऐसे वसीयत को अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा संदिग्ध मानने में त्रुटि की गई है ।

4/ प्रकरण दिनांक 21–4–2017 को आदेशार्थ हुआ है जिसमें अनावेदकगण को सात दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करना थे, परन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं ।

5/ आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपर आयुक्त के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा आदेश पारित करने में अनावेदकगण की ओर से प्रस्तुत शपथपत्रों पर विचार नहीं किया गया है, जबकि अपर आयुक्त का यह विधिक दायित्व था कि वे

आवेदिका की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्र पर विचार कर आदेश पारित करते । ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त का आदेश विधिसंगत नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–8–2005 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अपर आयुक्त को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि आवेदिका ने जो शपथपत्र प्रस्तुत किये हैं, उनके प्रकाश में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर प्रकरण का निराकरण करें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर